सं. ए.12018/05/2022-डीआरएस-भाग (IX)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषध विनियमन अनुभाग)

*****

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला (सीडीटीएल), मुंबई, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. कृपया टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 या **drugdiv-mohfw@gov.in** पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्त

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या.	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	2 * 1992-भिन्नता के अधीन कार्यभार पर निर्भर करता है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह - सी -गैर राजपत्रित गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.)	गैर चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	पदोन्नति के मामले में, सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु और शैक्षणिक अर्हता लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

भर्ती की पद्धत्ति: भर्ती सीधे या पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता के आधार पर होगी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)

पदोन्नति द्वारा नहीं किए जाने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	पदोन्नति: केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई की नियमित स्थापना में आरंभ से ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न श्रेणी लिपिक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: केंद्रीय सरकार के समान अथवा समकक्ष अथवा अनुरूप पदों को धारण करने वाले व्यक्ति अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न श्रेणी लिपिक।	<u>समूह ग पदोन्नति पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति:</u> 1. निदेशक, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई -अध्यक्ष 2. उप औषधि नियंत्रक (भारत) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पश्चिम क्षेत्र, मुंबई -सदस्य 3. समूह 'क' अधिकारी केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई - सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन (औषध)-सदस्य	लागू नहीं है

[फा.सं.ए.12018/05/2022-डीआरएस-भाग (IX)]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार